



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239689
CG-DL-E-15102022-239689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]
No. 516]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

फा.सं. 18-15/1016-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, विजयनगर, हुबली, जिला धारवाड़-580032, कर्नाटक जीएनएम कोर्स चलाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कमरा नंबर 105, पहली मंजिल, विकास सौदा, बेंगलूर - 560001, कर्नाटक को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-15/1016-आईएनसी/12350 दिनांक 19/02/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 19/02/2021 की एक प्रति विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, विजयनगर, हुबली, जिला धारवाड़ - 580032, कर्नाटक को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, परिषद् को विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज से दिनांक 10/03/2021 का पत्र प्राप्त हुआ। तत्पश्चात परिषद् ने विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज को पत्र दिनांक 31/03/2021 जारी किया। हालांकि विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज द्वारा आवश्यकतानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वहीं, परिषद ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 26/12/2020 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां। ये गंभीर कमियां बताती हैं कि संस्थान जीएनएम कोर्स चलाने में असमर्थ है।

अतः इसलिए, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 25/06/2022 से आगे **विघ्नेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, विजयनगर, हुबली, जिला धारवाड़-580032, कर्नाटक** से जीएनएम की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति केवल **कर्नाटक राज्य सरकार** के आदेश के अधीन केवल **कर्नाटक राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले.कर्मल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./337/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 14th October, 2022

F.No. 18-15/1016-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Vighneshwara Institute of Nursing Sciences** situated at **Vijaynagar, Hubballi, Distt. Dharwar – 580032, Karnataka** is recognized by State Government of Karnataka and Karnataka Nursing Council to conduct GNM course.

Whereas, a notice no. 18-15/1016-INC/12353 dated 19/02/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Room No. 105, 01st Floor, Vikas Souda, Bangalore – 560001, Karnataka was issued. Copy of the notice dated 19/02/2021 was also enclosed to **Vighneshwara Institute of Nursing Sciences** situated at **Vijaynagar, Hubballi, Distt. Dharwar – 580032, Karnataka**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council received a letter dated 10/03/2021 from Vighneshwara Institute of Nursing Sciences. Thereafter the Council issued letter dated 31/03/2021 to the Vighneshwara Institute of Nursing Sciences. However no action, as required, has been taken by the **Vighneshwara Institute of Nursing Sciences**.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 26/12/2020 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **Vighneshwara Institute of Nursing Sciences** situated at **Vijaynagar, Hubballi, Distt. Dharwar – 580032, Karnataka** shall be entitled to be registered only in the State of **Karnataka** subject to the orders of State government of Karnataka.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./337/2022-23]